

कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांक-स्था०/2026/ 157

दिनांक- 06/08/2026

-: आ दे श :-

राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापना नियम 1986 यथासंशोधित दिनांक 14.11.2024 के भाग V के नियम 23(3) के तहत एवं पदोन्नति समिति की रिपोर्ट दिनांकित 05.08.2026 में की गई अनुशंसा के आधार पर इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्न आशुलिपिक ग्रेड-III (हिन्दी) में से क्रम संख्या 05 पर अंकित कार्मिक के अलावा सभी को आशुलिपिक ग्रेड-II (हिन्दी) के पद पर भविष्य में होने वाली विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त के अधधीन AD-HOC (तदर्थ) रूप से एवं क्रम संख्या 05 पर अंकित कार्मिक श्री सुनील वर्मा आशुलिपिक ग्रेड-III (हिन्दी) को आशुलिपिक ग्रेड-II (हिन्दी) के पद की निर्धारित वेतन श्रृंखला एल-11 (पे-मेट्रिक्स-9300-34800 ग्रेड पे 4200) में तुरन्त प्रभाव से पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन न्यायालय का नाम
01.	श्री सत्येन्द्र सिंह	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
02.	श्री अंकुर गुप्ता	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, बाड़ी
03.	श्री अविनाश अग्रवाल	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, बाड़ी
04.	श्री दुर्गा महावर	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
05.	श्री सुनील वर्मा	विशिष्ट न्यायालय (अ.जा./अ.ज.जा.) धौलपुर
06.	श्री अभिनव श्रीवास्तव	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2 धौलपुर

नोट:-

- क्रम संख्या 05 पर अंकित कार्मिक के अलावा उपरोक्त सभी पदोन्नति AD-HOC (तदर्थ) आधार पर की गई है, इस कारण उपरोक्त कार्मिकों को पदोन्नति पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यता, विभागीय परीक्षा (Speed Test) आयोजित होने पर नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उन्हें उनके मूल पद आशुलिपिक ग्रेड-III पर पदावनत कर दिया जावेगा।
- क्रम संख्या 05 पर अंकित कार्मिक श्री सुनील कुमार वर्मा के अलावा पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नति के समस्त वित्तीय लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होंगे।
- श्री सुनील वर्मा को राजस्थान अधीनस्थ जिला न्यायालय मंत्रालयिक स्थापना नियम, 1986 के नियम 14ए में गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24.09.2024 के द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार क्रम संख्या 05 पर अंकित कार्मिक श्री सुनील वर्मा की पदोन्नति वर्ष 2020-21 के पश्चात् देय होने से तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु काल्पनिक रूप प्रदान की जावेगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।
- आदेश का इन्द्राज कार्मिकगण की सेवापुस्तिका में किया जावे तथा नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही की जावे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांक- स्था./2026/2734-2743

दिनांक- 06/08/2026

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) धौलपुर/बाड़ी
2. विशिष्ट न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा.), धौलपुर
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
4. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1/2 बाड़ी
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, धौलपुर
7. सर्वश्री सत्येन्द्र सिंह/अंकुर गुप्ता/अविनाश अग्रवाल/दुर्गा महावर/सुनील वर्मा/अभिनव श्रीवास्तव
8. व्यक्तिगत पत्रावली सर्वश्री सत्येन्द्र सिंह/अंकुर गुप्ता/अविनाश अग्रवाल/दुर्गा महावर/सुनील वर्मा/अभिनव श्रीवास्तव
9. सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश/सम्बंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर